

प्रेस-विज्ञप्तिथाना तहबरपुरअवैध शस्त्रों का निर्माण कर तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशों व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी शत्रुघ्न कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 07/04/2021 को व030नि0 बसन्तलाल मय हमराह कर्म0गण का0 पंचदेव यादव, का0 सर्वेश कुमार, म0का0 अभिलाषा द्विवेदी, का0 धर्मराज चौधरी, का0 उत्कर्ष शुक्ला के मय जिप्सी सरकारी नं0 UP50 AG 0254 चालक स्वयं के थाना स्थानीय से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र चेंकिंग संदिग्ध, व्यक्ति संदिग्ध वाहन करते हुये शान्ति व्यवस्था ड्यूटी नामांकन पंचायत चुनाव ब्लाक तहबरपुर में मामुर थे कि उसी समय जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि तिरंगा तिराहे से गजेपुर जाने वाले मार्ग पर गजेपुर पुलिसिया पर एक असलहा तस्कर जिसका नाम लालधारी पुत्र हरगुन निवासी खुटिया थाना तहबरपुर आजमगढ़ है। अवैध तमंचे के साथ पुलिसिया पर खड़ा है। कही जाने की फिराक में किसी साधन का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके हमराह कर्म0गण को साथ लेकर तथा ब्लाक परिसर में मौजूद ईगल मोबाइल पर कार्यरत कर्म0गण का0 उत्कर्ष शुक्ला, का0 धर्मराज को भी साथ लेकर, मुखबिर की सूचना से सभी को अवगत कराकर तिरंगा तिराहे से होकर गजेपुर पुलिसिया के पास पहुंचे तो देखा गया कि एक व्यक्ति पुलिसिया पर खड़ा है। पुलिस टीम को देखकर पीछे की तरफ मुड़ कर तेज कदमों से जाने लगा जब आवाज देकर रोकने की कोशिश की गई तो भागने लगा कि 20, 23 कदम जाते-जाते पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम लालधारी S/O हरगुन ग्राम खुटिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी की गई तो एक अदद तमंचा 12 बोर बरामद तथा एक अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुआ। अवैध तमंचा रखने के बावत पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब यही रोजी रोटी का जरिया है इसे बेचने के लिये जा रहा था कि आप लोगो के द्वारा पकड़ लिया गया पूर्व में कई बार अवैध शस्त्र रखने तथा बनाने के मामले में जेल जाने की बात बताते हुये गलती के लिये माफी मांग रहा है। अवैध तमंचा व कारतूस रखने के संदर्भ में अधिकार पत्र की मांगा की गयी तो दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3/25 A. Act का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुये समय करीब 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया है। तथा बरामदशुदा माल को कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 30/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

लालधारी S/O हरगुन निवासी ग्राम खुटिया थाना तहबरपुर, आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 12 बोर, , एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 30/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-118/16 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-35/18 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-1/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0-103/2001 धारा 25/30 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़
5. मु0अ0सं0-7/2002 धारा 25/30 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़
6. मु0अ0सं0-65/99 धारा 25/30 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़
7. मु0अ0सं0-30/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़
8. मु0अ0सं0-130/05 धारा 3(1) गैगैस्टर एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़
9. मु0अ0सं0-38/05 धारा 307 भादवि व 7 CLA एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़
10. मु0अ0सं0-39/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 बसन्त लाल
2. का0 पंचदेव यादव
3. का0 सर्वेश कुमार
4. का0 उत्कर्ष शुक्ला
5. का0 धर्मराज चौधरी